तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 36/2025 जीसीएमएस : 2025/91 गुरप्रीत बनाम सरकार वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि. व धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
11.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1846 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, शामिल पत्रावली करें। वादी अधिवक्ता निवेदन किया कि वाद पत्र रिकार्ड दुरूस्ती के अनुतोष पर आधारित है, रिपोर्ट तहसीलदार प्रकरण में प्राप्त हो चुकी है बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 2 डीएम तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 34 प.नं. 102/23 कि.नं. 16/1, 16/2, 17 ता 19, 20/3, 20/4, 21/2 का 1.466है. भूमि कमाण्ड मय खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता सं. 98 में है। खाता सं. 98 में वादी के पिता का नाम महेन्द्र राम अंकित है जबकि वादी का नाम गुरप्रीत व वादी के पिता का नाम महेन्द्र है जो कि वादी के पहचान संबंधि बने दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर पहचान कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में पिता का नाम महेन्द्र अंकित है वादी के द्वारा उक्त भूमि खरीद करने पर जो बैयनामा दिनांक 09.03.2023 पंजीयन करवाया है उसमें भी वादी का नाम गुरप्रीत व वादी के पिता का नाम महेन्द्र अंकित है किन्दू राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण के समय वादी के पिता का नाम संहबन से महेन्द्र राम अंकित हो गया है। जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम को दुरूस्त करते हुए गुरप्रीत पुत्र महेन्द्र राम के स्थान पर गुरप्रीत पुत्र महेन्द्र अंकित करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण मात्र रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित है न की घोषणात्मक अनुतोष पर आधारित है ऐसी स्थिति में राज.काश्त.अधि. की धारा 88 के तहत प्रकरण विचारण योग्य नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/1846 दिनांक 21.05.2025 के अनुसार बैयनामा पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक/ 202003117100306 दिनांक 25.02.2020 के द्वारा कि.नं. 16/1, 16/2, 17, 18 व 25/4 का 1.088है. रकबा खरीदशुदा है जिसमें प्रार्थी का नाम महेन्द्र राम दर्ज है। जिसके अनुसार नामान्तरण संख्या 360 दिनांक 06.06.2022 से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्र राम दर्ज हुआ। तत्पश्चात बैयनामा पंजीबद्ध दस्तावेज क्रमांक/ 202303117100679 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा कि.नं. 20/3, 21/2 का 0.378है. रकबा खरीदा गया जिसको नामान्तरण संख्या 380 दिनांक 05.04.2023 को खाता सं. 98 में जोड़ा गया था। उक्त रजिस्टर्ड पत्र प्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्र अंकित है। प्रार्थी के पिता का नाम एक रजिस्टर्ड पत्र में महेन्द्र राम व दूसरे में महेन्द्र है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज में पिता का नाम महेन्द्र अंकित है। उक्त रकबा पर किसी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादी व वादी के पिता के पहचान के दस्तावेजों आधार कार्ड आदि की छायाप्रतियों का अवलोकन किया जिसमें नाम महेन्द्र अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि हांलाकि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते समय किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई हैं, लेकिन न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता के नाम महेन्द्र राम के स्थान पर महेन्द्र की दुरूस्ती की जानी [illegible] रूप से स्वीकार अतः वाद पत्र रिकार्ड दुरूस्ती की हद [illegible] जाता हैं कि करते हुए तहसीलदार श्री[illegible] के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी च[illegible] पर गुरप्रीत पुत्र गुरप्रीत पुत्र महेंद्र राम क[illegible] महेंद्र दर्ज करें। शेष अंकन यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर [illegible] पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:40:02 IST
Reason: SelfAttested